

विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/ 3313/58-1-2025(1917687), दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बागपत के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	बागपत शहर	शहरी	5
2	बागपत ग्रामीण	ग्रामीण	5
3	बडौत	ग्रामीण	8
4	बिनौली	ग्रामीण	9
5	छपरौली	ग्रामीण	7
6	खेकडा	ग्रामीण	12
7	पिलाना	ग्रामीण	15
योग :-			61

रिक्त पदों की अर्हता एवं आवेदन भरने हेतु विशेष निर्देश :-

- रिक्त पदों पर आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आवेदिका की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
- विज्ञापित पद से सम्बन्धित ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिवत तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा /परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जायेगी।
- गरीबी रेखा की आय सीमा के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम/वार्ड (शहरी क्षेत्रों) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता दी जायेगी।
- आय, जाति एवं निवास प्रमाण के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील द्वारा जारी सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन संभव हो।
- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 3959/1-9-11-राज०-9 दिनांक-30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु अन्तिम तिथि 30.11.2025 की मध्यरात्रि तक होगी।
- उपरोक्त विज्ञापित में वर्णित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय /सम्बन्धित विकास खण्डों/बाल विकास परियोजनाओं के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

नोट:-रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बागपत

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागपत

पत्रांक: C-816/जि0का0अ0/आ0बा0स्था0/विज्ञप्ति-AWW-61/2025-26

दिनांक 10.11.2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ताहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, बागपत।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बागपत।
4. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद-बागपत।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबासाईट <https://bagpat.nic.in> की पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-बागपत।
8. ब्यूरो चीफ अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र मे बागपत के स्थानीय अंक/पृष्ठ मे शासकीय दरों पर इस विज्ञप्ति को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद-बागपत को इस निर्देश के साथ कि अपनी-अपनी परियोजना पर रिक्त पदों का विवरण परियोजना मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बागपत

28/11/25